

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 अगस्त 2022 — श्रावण 17, शक 1944

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 अगस्त 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-25/2022/32.— छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के उप-नियम (1) में, शब्द एवं चिन्ह “प्ररूप—एक में” के स्थान पर, शब्द “प्ररूप—एक में भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से” प्रतिस्थापित किया जाये।

2. नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (चार) तथा (पांच) जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“(चार) पार्किंग,
(पांच) पहुंच मार्ग की चौड़ाई.”

3. नियम 4 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“(3) यदि भूमि शासन, स्थानीय प्राधिकारी या संवैधानिक निकाय द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए आवंटित अथवा पट्टे पर प्रदाय की गई हो, किन्तु उक्त आबंटन/पट्टे में दर्ज विशिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए स्थल का विकास/निर्माण कार्य किया हो तथा यदि ऐसे निर्माण से लोकहित प्रभावित न हो, तो नियमितकरण किया जा सकेगा.”

4. प्ररूप—एक, प्ररूप—दो, प्ररूप—तीन, प्ररूप—चार एवं प्ररूप—पांच के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप—एक, प्ररूप—दो, प्ररूप—तीन, प्ररूप—चार एवं प्ररूप—पांच प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“प्ररूप—एक

(नियम 3 देखिए)

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आवेदन

प्रति,

सदस्य—सचिव,
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

मैं, मेरे द्वारा किए गये/मेरे अधिवास के/मेरे स्वामित्व के अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 5 के अधीन, एतद्वारा, यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ,

मैं अनधिकृत विकास के मानचित्र, रेखांकन तथा फोटो के साथ निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करता हूँ—

1. आवेदक का नाम
- पति/पिता का नाम
2. भवन निर्माण की तिथि (प्रमाणक : बिजली बिल/संपत्ति कर अदायगी की पर्ची/लेआउट अनुमोदन की प्रति/भवन अनुज्ञा की प्रति)
3. भूमि का विवरण :-
 - क. निवेश क्षेत्र का नाम
 - ख. निकाय का नाम (ग्राम/नगरीय निकाय)
 - ग. खसरा नं. पटवारी हल्का नं.
(नजूल/गैर-नजूल) रकबा
 - घ. मोहल्ला/वार्ड का नाम
 - ड. मकान क्रमांक
4. निर्माण संबंधी अनुज्ञा का विवरण :-
 - क. भवन अनुज्ञा (संलग्न)
 - ख. अनुमोदित ले-आउट (संलग्न/मार्गसंरचना)

आवेदक का वर्तमान फोटो (चस्पा किये जाने वाले फोटो एवं आवेदन के आधे-आधे भाग पर हस्ताक्षर)

आवेदक/आर्किटेक्ट के द्वारा भरा जावे

स.क्र.		अनुज्ञप्त विकास (एसएम)	आवेदक द्वारा किया गया विचलन (एसएम)
1	एमओएस		
2	एफएआर		
3	भूमि उपयोग परिवर्तन		
4	पार्किंग		

5. गैर-लाभ अर्जन हेतु निर्मित संस्थान/चिकित्सालय/शैक्षणिक संस्थान/धर्मशाला/अन्य.....
6. पहुँच मार्ग की चौड़ाई मीटर (वर्तमान में)
7. छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था
8. छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अनुसार सौर ऊर्जा का प्रावधान
9. क्या भवन 01.01.2011 के पूर्व निर्मित है, यदि हाँ, तो निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा करें :

1. बिजली बिल 2. संपत्ति कर 3. ले-आउट अनुमोदन की प्रति 4. भवन अनुज्ञा की प्रति संलग्न :-

1. सर्वे क्र./प्लॉट/खसरा नं.
2. नक्शा
3. बिजली बिल/संपत्ति कर/ले-आउट/भवन अनुज्ञा
4. आवेदक का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल
5. अर्किटेक्ट द्वारा वर्तमान में निर्मित भवन/मानचित्र ले-आउट, 5 प्रतिशों में
6. भवन के चारों ओर का फोटोग्राफ
7. भवन का स्थल मानचित्र

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम : -----
फोन नम्बर/मो.नं.: -----
डाक का पता : -----
ई-मेल : -----

घोषणापत्र

मैं/हम, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण सही हैं और मैं/हम, इस संबंध में आपके द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम : -----
फोन नम्बर/मो.नं.: -----
डाक का पता : -----
ई-मेल : -----

भवन के चारों ओर का फोटोग्राफ

आगे	पीछे
दाँये	बाँये

चेक लिस्ट

1. भूमि स्वामित्व दस्तावेज अद्यतन बी-I, पी-II, खसरा बटांकन
2. शासन/स्थानीय प्राधिकारी या संवैधानिक निकाय द्वारा आबंटित पट्टा विलेख की स्वप्रमाणित प्रति
3. भवन का निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व होने का प्रमाण यथा बिजली बिल/संपत्ति कर की प्रति
4. भूमि का विवरण स्व मोहल्ला, नगर निवेश योजना, सर्वे क्रमांक प्लाट नं./खसरा नं./रकबा :-
5. भवन अनुज्ञा की प्रति
6. भवन का वर्तमान उपयोग :
7. विकास योजना/अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अनुसार भू-उपयोग प्रमाण पत्र
8. गैर-लाभ अर्जन संस्थान/चिकित्सालय/शैक्षणिक संस्थान/धर्मशाला/अन्य की स्थिति में, गैर-लाभ अर्जन संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र
9. पहुँच मार्ग की चौड़ाई (वर्तमान) :
10. पार्किंग की गणना रिपोर्ट :
11. भवन का फोटोग्राफ (चारों ओर)
12. बहुमंजिला भवन हेतु मृदा परीक्षण, स्ट्रक्चर रिपोर्ट, अग्निशमन व्यवस्था की रिपोर्ट
13. भवन का स्थल मानचित्र
14. शपथ पत्र अ एवं ब

.....

(आवेदक का हस्ताक्षर)

नाम:

मो.नं. :

ई-मेल :

पता :

शपथपत्र—अ
आवेदक द्वारा शपथ के लिए

मैं/हम, श्री/श्रीमती आयु वर्ष, श्री/श्रीमती
..... के पुत्र/पुत्री/पत्नि, जो कि ग्राम पोस्ट ऑफिस तहसील
..... जिला के निवासी हूँ/हैं, एतद्वारा, शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन एवं
घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :-

1. यह कि मैं/हम, पट्टा/उपहार/क्रय/पारिवारिक बटवारा/कोर्ट आदेश के माध्यम से अर्जित भू-खंड/भवन के धारक हूँ/हैं, जो कि ग्राम प.ह.नं. रा.नि.मं. तहसील जिला स्थित है, जिसका भू-खण्ड/भवन क्र. खसरा क्रमांक कुल रकबा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

संपत्ति की अनुसूची

ग्राम का नाम/मौजा :

तहसील :

रोड़ नंबर :

खसरा नंबर :

रकबा :

ले-आउट /भवन अनुज्ञा क्र. :

पत्र क्रमांक दिनांक

चर्तुसीमा का विवरण
(कृपया भूखण्ड क्रमांक/मार्ग का उल्लेख करें)

उत्तर : दक्षिण :
पूर्व : पश्चिम :

2. यह कि भूमि के अर्जन प्राप्ति की तिथि से, मैं/हम वैधपूर्वक एवं शांतिपूर्वक तरीके से ऊपर उल्लिखित भूखण्ड/भवन पर काबिज है.
3. यह कि मैंने/हमने, मेरी/हमारी कानूनी स्वामित्व की भूमि से परे भवन या उसके किसी भाग का निर्माण नहीं किया है.
4. यह कि ऊपर उल्लिखित भूखण्ड/भवन या मेरे/हमारे द्वारा अर्जित भूमि/भूखंड/भवन से संलग्न किसी भी शासकीय भूमि अथवा अन्य की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है.
5. यह कि नियमितीकरण के लिए प्रस्तुत योजना, स्थल पर वास्तविक निर्माण के अनुसार ही है.
6. यह कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में सत्य एवं सही है तथा इसमें मेरे द्वारा कुछ भी नहीं छुपाया गया है.
7. यह कि मैं/हम भवन के संरचनात्मक डिजाइन की संरचनात्मक सुरक्षा/पुनरीक्षण की जिम्मेदारी लेते हैं, और प्राधिकारी को भवन की किसी भी संरचनात्मक विफलता के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा.
8. यह कि आवेदन में तथ्यों को छुपाने और/या गलत तरीके से प्रस्तुत करने की स्थिति में, प्राधिकारी को, अनुमति को अस्वीकार करने/रद्द करने और मेरे/हमारे द्वारा जमा किए गए शास्ति राशि को जब्त करने का पूरा अधिकार है तथा मेरे/हमारे विरुद्ध संस्थित आपराधिक अभियोजन हेतु भी उत्तरदायी रहेंगे।

गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर

1.
2.

.....
शपथकर्ता का हस्ताक्षर
पूरा नाम :

शपथपत्र—ब

भवन पूर्णतः अवैध निर्मित होने की स्थिति में आवेदक द्वारा शपथ के लिए

मैं/हम, श्री/श्रीमती आयु वर्ष, श्री/श्रीमती
 के पुत्र/पुत्री/पत्नि, जो कि ग्रामपोस्ट ऑफिस
 तहसील जिला के निवासी है, एतद्वारा, शपथपूर्वक कथन करते हैं,
 कि जो भी मेरे द्वारा निर्माण किया गया है, वह पूर्णतः अवैध है और उसके नियमितिकरण हेतु, जो भी शास्ति अधिरोपित
 की जायेगी, उस शास्ति को मैं, विहित समयसीमा के भीतर जमा करने हेतु बाध्य हूँ।

गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

1.

पूरा नाम :

2.

प्ररूप-दो
(नियम 6 (1) देखिए)

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु मांग नोटिस

प्रति,

श्री/श्रीमती

.....

.....

यतः, मुझे, अधोहस्ताक्षरकर्ता का, प्रस्तुत आवेदन दिनांक के आधार पर, यह मत है कि श्री द्वारा परिसर क्रमांक/प्लेट क्र./उप भू-खंड क्रमांक भू-खण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक मोहल्ला पर भवन के स्वामी/अधिभोगी के रूप में अनधिकृत विकास किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

सम्पत्ति का विवरण :-

.....

.....

.....

अतएव, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार, आप नीचे दिए गये विवरण अनुसार अनधिकृत विकास करने के बारे में शास्ति राशि, " आय के मुख्य शीर्ष 0217 उपशीर्ष-06 अन्य नगर विकास योजनाएं लघुशीर्ष 800 अन्य प्राप्तियां योजना क्रमांक-0190" में जमा करने के लिए दायी है,

स.क्र.	विवरण	प्रवर्ग	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	दर रु./ वर्गमीटर	कुल राशि रूपए में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पार्श्व खुला स्थान (एम0ओ0एस0)				
2.	तलक्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0)				
3.	भू-उपयोग में परिवर्तन (कलेक्टर गार्डलाईन का 5%)				
4.	पार्किंग				

यदि आप सुनवाई की वांछा रखते हैं तो आप इस सूचना के प्राप्त होने से एक मास की कालावधि के भीतर सुनवाई करने के लिए अधोहस्ताक्षरी को लिख सकते हैं, और उस तारीख को, जो दी जाए, अपने मामले के संबंध में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं,

तारीख : -----

स्थान : -----

सदस्य-सचिव

जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

जिला -----

प्ररूप-तीन
(नियम 6 (2) देखिए)

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आदेश

प्रति,

श्री/श्रीमती

.....

.....

यतः, मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, का यह मत है कि खसरा क्रमांक प्लॉट क्रमांक क्षेत्र/कालोनी/मोहल्ला में किया गया अनधिकृत विकास, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क. 21 सन् 2002) की धारा 7 के प्रावधान अनुसार नियमितिकरण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

अतएव, प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसरण में, मैं इस सूचना की तारीख से दिन के भीतर रूपये (शब्दों में) शासकीय खजाने में विप्रेषण के अध्यधीन रहते हुए, अनधिकृत विकास को नियमित घोषित करता हूँ ऐसा करने में असफल होने पर, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

(जिला नियमितिकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

तारीख :

स्थान :

सदस्य-सचिव
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी
जिला -----

प्ररूप—चार
(नियम 6 (4) देखिए)

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने संबंधी आदेश

प्रति,

श्री/श्रीमती

.....

.....

यतः, मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता का, यह मत है कि भू-खण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक कॉलोनी/गली..... पर आपके द्वारा किए गए अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के बारे में आपके आवेदन में अन्तर्विष्ट जानकारी छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 7 के उपबंधों के अधीन नियमितिकरण की शर्तों के अनुसार नहीं है या नियमितिकरण लोक हित में नहीं होने के निम्नलिखित कारण है :-

1.....

2.....

3.....

4.....

अतएव, धारा 6 (1) (एक) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक----- को एतद्वारा नामंजूर किया जाता है।

आपको, एतद्वारा, निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं उक्त अनधिकृत विकास को अविलंब हटा दें, असफल होने पर उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जायेगी.

(जिला नियमितिकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

तारीख : -----

स्थान : -----

सदस्य -सचिव
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी
जिला -----

प्ररूप—पांच
(नियम 7 देखिए)

नियमितिकरण प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती आत्मज/आत्मजा श्री द्वारा निर्मित या स्वामित्व या अधिभोग की अनधिकृत विकास, जो कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना या स्वीकृत अनुज्ञा का उल्लंघन कर (देखिए पत्र क्रमांक तारीख) राजस्व खसरा क्रमांक अन्तिम भू-खण्ड क्रमांक ग्राम/नगर तथा ग्राम विकास योजना क्रमांक पर परिसर क्रमांक प्लैट क्रमांक/मकान क्रमांक में स्थित है, को छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क. 21 सन् 2002) के अधीन, अपेक्षाओं को पूरी करने के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित क्षेत्र सहित, एतद्वारा नियमितिकरण किया जाता है:—

स.क्र.	नियमितिकरण के विषय	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
(1)	(2)	(3)
1.	पार्श्व खुला स्थान (एम0ओ0एस0)	
2.	तलक्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0)	
3.	भू-उपयोग में परिवर्तन	
4.	पार्किंग	

(जिला नियमितिकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- मानचित्र एवं रेखांकन

तारीख : -----

स्थान : -----

सदस्य—सचिव
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी
जिला -----”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप—सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 अगस्त 2022

क्रमांक एफ 07-25/2022/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण, 2022 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2022 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप—सचिव.

Atal Nagar, the 8th August 2022

NOTIFICATION

F No. 07-25/2022/32.— In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikaran Niyam, 2002, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. In sub-rule (1) of rule 3, for the words and symbol "in Form-I", the words "physically in Form-I or in Electronic Method" shall be substituted.
2. After clause (iii) of sub-rule (1) of rule 4, the following clause (iv) and (v) shall be added, namely:-
"(iv) Parking,
(v) Width of Approach Road."
3. After sub-rule (2) of rule 4, the following sub-rule shall be added, namely:-
"(3) If the land has been allotted or leased by the Government, local authority or statutory body for a specific purpose, but development/construction work of the site has been done for a purpose other than the specific purpose recorded in the said allotment/ lease and if the public interest is not affected by such construction, then the regularization may be done."
4. For FORM-I, FORM-II, FORM-III, FORM-IV and FORM-V, the following FORM-I, FORM-II, FORM-III, FORM-IV and FORM-V shall be substituted, namely :-

"FORM-I
(See rule 3)

Application for regularization of unauthorized development

To,
Member-Secretary,
District Regularization Authority

I, hereby, submit an application for the regularization of unauthorized development carried out/domiciled/owned by me, under Section 5 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No.21 of 2002).

I, hereby, submit the following information alongwith the maps, drawings and photographs of unauthorized development, namely:-

1. Name of the applicant:- _____
W/S/D of: - _____
2. Date of construction of building: - _____ (Probative: electricity bill, property tax receipt/copy of approved layout/copy of approved building permission)

3. Description of Land: -

- a. Name of Planning Boundary: - _____
- b. Name of Local body(village/municipal area): - _____
- c. Khasra No. _____ P.H.No. _____
(Nazul/Non-nazul) _____ Area _____
- d. Name of Mohallah/Ward: - _____
- e. House No.: - _____

The recent photograph of the applicant (The photograph to be affixed and the signature on the half-part of the application)

4. Details of Permission of Construction: -

- a. Building Permission (Attached): - _____
- b. Approved layout (Attached/road infrastructure): - _____

To be filled by Applicant/Architect

S.No.		Permitted Development (SM)	Deviation made by the applicant (SM)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MOS		
2.	FAR		
3.	LAND USE CHANGE		
4.	PARKING		

5. Institutions/Hospitals/Educational Institutions/Dharamshala/Others built for non-profit earning: - _____
6. Width of Access Road: - _____ Mtrs. (In present)
7. The arrangement of rain water harvesting according to the Chhattisgarh Bhoomi Vikas Niyam, 1984: - _____
8. Provision of solar energy as per the Chhattisgarh Bhoomi Vikas Niyam, 1984:-

9. Whether the building is constructed before 01.01.2011, if yes, submit any one of the following documents:-
(1) Electricity Bill, (2) Property Tax, (3) Copy of Approved Layout and (4) Copy of Building Permission.

Attachment:-

- Survey No./ Plot/ Khasra No.
- Drawing
- Electricity Bill/ Property Tax/ Layout/ Building Permission
- Mobile No. and e-mail Id of the Applicant
- Current building/map layout in 5 copies by Architect
- Photographs of Building from all 4 sides
- Location Map of Building.

(Signature of Applicant)

Name:- _____
Phone No./ Mob. No. :- _____
Postal Address:- _____
Email Id:- _____

DECLARATION

I/We, hereby, declare that the above information submitted by me/us is correct and I/we submit further any information desired by you in this regards.

(Signature of Applicant)

Name:- _____

Phone No./ Mob. No. :- _____

Postal Address:- _____

Email Id:- _____

Photographs of the Building

Front	Back
Left	Right

CHECK LIST

1. Land Ownership Document- B-I, P-II, Khasra Updated
2. Self attested copy of lease deed allotted by Government/Local authority or statutory body
3. Certificate of construction of the building before the notified date such as copy of electricity bill/property tax
4. Land Description Revenue Mohalla, City Investment Plan, Survey Number Plot No. /Khasra No. / Area:- _____
5. Copy of Building Permission
6. Present usage of Building :- _____
7. Land use certificate according to the development plan / adopted present land use map
8. Certificate of competent authority concerned to non-profit earning, in case of non profit earning institute/hospital/educational institute/Dharamsala/others.
9. Width of the access road (in present): _____
10. Parking Calculation Report: _____
11. Photograph of Building (all 4 sides)
12. Multi-storeyed building soil report/structure report, fire fighting report
13. Location map of Building
14. Declaration A and B

(Signature of Applicant)

Name:- _____

Phone No./ Mob. No. :- _____

Postal Address:- _____

Email Id:- _____

AFFIDAVIT-A
(For Affidavit by Applicant)

I/We/Shri/Smt. Age year, Son/
Daughter/Wife of Shri/Smt. who is a resident of village
..... Post Office, Tahsil, District hereby,
solemnly affirm and declare as under :-

1. that I/we, am/are the holder of plot/Building acquired through as leased/gift/
purchased/family partition/orders of court, which is situated at
village....., Patwari Halka No., R.I.C., Tahsil,
District Plot/Building No.----- Khasra No. Area
..... Sq.mtr., the details are given below :-

Schedule of Property

Village Name/mauja
Tahsil
Road No.
Khasra No.
Area
Layout/Building Permit No.
Letter No.....dated

limits/details of boundaries of plot
[Mention Plot No./Road name]

North:- ----- South:- -----
East:- ----- West:- -----

2. that from the date of acquisition of the land, I/We validly and peacefully in
possession of the above mentioned plot/building.
3. That I/We have not constructed the building or any part thereof beyond the land of
my/our legal ownership.
4. that there is no encroaching on any Government or other land or land/plot/building
acquired by me/us adjoining the above mentioned plot/building.
5. that the plan submitted for regularization is exactly as per the actual construction at
site.
6. That, the information given in the application form and the attached documents are
true and correct to best of my knowledge and belief and nothing has been concealed
therein.
7. that, I/we undertake the responsibility of the structural safety/modification of the
structural design of the building and the authority shall not be held responsible in
any way for any structural failure of the building.
8. that, in the event of suppression and/or misrepresentation of facts in the application,
the authority has all the rights for denial/ cancellation of the permission and to forfeit
the amount of penalty deposited by me/us and shall also be liable for criminal
prosecution instituted against me/us.

Name and signature of the
witness

1.....
2.....

.....
Signature of the Deponent
Full Name-----

Affidavit -B

For oath by the Applicant in case the Building is constructed Illegally

I/We/Shri/Smt. Age year,
Son/Daughter/Wife of Shri/Smt., Resident of village
..... Post Office, Tahsil, District
..... hereby, solemnly affirm that whatever has been constructed by me
is completely illegal and whatever penalty will be imposed for regularization of it, I am
bound to pay the penalty within the time limit.

Name and signature of the witness

Signature of the Deponent

1.....

Full Name.....

2.....

FORM-II

[See rule 6(1)]

Demand Notice for Regularization of unauthorised development

To,

Mr./ Mrs.

.....

.....

WHEREAS, I, the undersigned is of the opinion, on the basis of your application dated that Shri have carried out, owned or occupied unauthorised development of building in respect of thepremises No./ Flat No./ Sub plot no.on Khasara No.Plot Number..... of the mohallawhich is described below.

Discription of property :-

.....

.....

.....

NOW, therefore, in pursuance of the provision of Section 5 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikash Ka Niyamitikan Adhinyam, 2002 (No. 21 of 2002), you are liable to pay the below mentioned penalty amount in respect of such unauthorised development in "Income of Main Head 0217, Sub-Head 06, Other Town Development Scheme Minor Head 800 and Other Receipt Plan No-0190."

Sr. No.	Description	Category	Area in sq. mtrs.	Rate Rs./sq. mtrs.	Total Amount in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Marginal of space (M.O.S.)				
2.	Floor Area Ratio (F.A.R.)				
3.	Change in land use (5% of collector guideline)				
4.	Parking				

If you are desirous of being heard you may write to undersigned for hearing within period of one month from the receipt of notice and may represent your case with all relevant records on such date as may be given.

Dated :

Place :

Member-Secretary
District Regularization Authority
District

FORM-III
{(See rule 6(2))}
Order for Regularisation of Unauthorised development

To,

Shri /Smt.....

.....

WHEREAS, I, undersigned is of the opinion that the unauthorised development carried by you on Khasra No.....plot No..... Region/Colony/Mohalla is fit for regularization under Section 7 of the Chattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhinyam, 2002 (No. 21 of 2002).

NOW, THEREFORE, after duly considering the objections and suggestions received and in pursuance of the provisions of Section 5 of the said Act, I, declare the regularization of the Unauthorized development, subject to remittance of Rs.....(in words)in Government treasury within a period of.....days from the date of this notice, failing which, actions under Section 8 of the relevant Act shall be taken.

(Approved by District Regularization Authority)

Dated :.....

Place :.....

Member-Secretary
District Regularization Authority
District - _____

FORM-IV
{See rule 6(4)}Order regarding rejection of application for regularization of unauthorised
development

To,

Shri /Smt.....
.....

WHEREAS, I, the undersigned is of the opinion that the information contained in your application regarding the regularization of unauthorised development carried by you on Plot No..... Khasra No..... Colony/Street.....is not satisfying the condition for regularization under the provisions of Section 7 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikan Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002) or the regularization is not in public interest due to following reasons-

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

NOW, THEREFORE, in pursuance of provisions of Section 6(1) (i) the application dated submitted by you for regularization of unauthorised development is hereby rejected.

You are hereby, directed to you remove immediately the your unauthorised development, failing which action under the said Act shall be taken.
(Approved by District Regularization Authority)

Dated :.....
Place. :.....Member-Secretary
District Regularization Authority
District -----

FORM-V
(See rule 7)
Certificate of Regularization

It is certified that the unauthorized development done by or owned by or occupied by Shri/Smt.....Son of /Daughter of.....on Premises No /Flat No./House No.on Revenue Khasra No./Final Plot Noof village/Town and Country Planning Scheme No..... without the permission of competent authority or in contravention to the permission granted (vide Letter No. dated) hereby, regularized after fulfillment of requirement under the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhinyam, 2002 (No. 21 of 2002) with area mentioned in table below:-

S.No.	Subject of Regularization	Area in Sq.Mtrs.
1.	Marginal Open Spaces (MOS)	
2.	Floor Area Ratio (FAR)	
3.	Change in Land use	
4.	Parking	

(Approved by District Regularization Authority)

Enclosures - Drawing and maps

Dated:

Place :.....

Member-Secretary
District Regularization Authority
District -----”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C.TIRKEY, Deputy Secretary.